फाइल संख्या-71-1001(099)/304/2021

।/111674/2021

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।	2.	कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
3.	कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा।	4.	प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज/ समस्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
5.	निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।	6.	निदेशक, हृदय रोग संस्थान/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ :दिनाँक 02 नवम्बर, 2021

विषयः- चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज के सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षक को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात पुनर्नियुक्ति पर तैनात किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2021/2654, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-250/2018/4067/71-1-2017-जी-63/2008, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकगण को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात पुनर्नियुक्ति पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) राजकीय मेडिकल कालेज यथा-गोरखपुर/प्रयागराज/कानपुर/झांसी/मेरठ/आगरा/किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में चिकित्सा शिक्षकगण को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात 70 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति प्रदान किया जायेगा। इन्हे पुनर्नियुक्ति की शर्तो के अनुसार अंतिम वेतन आहरण में से पेंशन घटाते हुए अनुमन्य धनराशि देय होगी।

(2) राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आजमगढ़/अम्बेडकरनगर/बांदा/बदायूं/जालौन/कन्नौज/सहारनपुर/समस्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-250/2018/4067/71-1-2017-जी-63/2008, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षक को पुनर्नियुक्ति के फलस्वरूप रू0 2,20,000/- (रूपये दो लाख बीस हजार) प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) पुनर्नियुक्ति पर तैनात चिकित्सा शिक्षकगण से शैक्षणिक, शोध कार्य एवं मरीजों के उपचार सम्बन्धी कार्य लिया जायेगा। इन्हें प्रशासनिक पद यथा-प्रधानाचार्य, निदेशक, विभागाध्यक्ष, प्राक्टर एवं डीन के दायित्व/प्रभार से मुक्त रखा जायेगा।

कृपया तद्नुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या:उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
4- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, मा0मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
7- समस्त वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
8- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/3/4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।